<u>प्रकरण संख्या 12/2022 अर्जुनलाल व अन्य बनाम अमरता व अन्य</u>

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.07.2024	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक प्रार्थना पत्र बाबत् अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा ग्राम सेमटाल, पटवार क्षेत्र मजावडी, तहसील गोगुन्दा में प्रार्थी की आराजी नंबर 1429 व 1432 स्थित है, जिसमें आने जाने का एक मात्र रास्ता विपक्षीगण की आराजी नंबर 1426 से है, जिसका उपयोग वह निर्बाध रूप से करते चले आ रहे हैं। उक्त आराजी मौखिक बंटवारे में विपक्षी संख्या 1 के हिस्से में आयी हुई है, परन्तु सहखातेदार होने से सभी को पक्षकार बनाया गया है। विपक्षीगण द्वारा उक्त रास्ते पर काटे इत्यादि डाल देने से प्रार्थी को भारी कठिनाई उत्पन्न हो रही है। प्रार्थी डीएलसी दर अनुसार रूपये जमा कराने को तैयार है। अतः आराजी नंबर 1426 में 15 फिट का रास्ता कायम किया जाकर राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्ज किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 04.05.2022 को निर्णय पारित करते हुए आराजी नंबर 1426 में से 0.0200 हैक्टर का रास्ता डी.एल.सी. दर अनुसार दिये जाने आदेश पारित कियाख जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/विपक्षी संख्या 1, 7 व 9 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 31.05.2022 को प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री गिरजा शंकर मेहता उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2, 3, 4, 5/1, 5/3 की ओर से अधिवक्ता श्री हुकमसिंह देवड़ा उपस्थित हुए। अपीलान्टगण की ओर से अभिभाषक श्री अजयसिंह हाड़ा उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी रिपोर्ट तलब किये जाने बाबत् न तो कोई आदेश पारित किया गया, न ही निष्पक्ष रूप से अपीलान्टगण की उपस्थिति में पटवारी रिपोर्ट मंगवाये जाने बाबत् कोई कार्यवाही की गयी, अपितु दोषपूर्ण रिपोर्ट को आधार बनाकर अवैधानिक ढंग से रास्ते बाबत् निर्णय पारित कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट द्वारा प्रारम्भिक आपत्ति के तौर पर निवेदन किया कि प्रार्थी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 अमरता द्वारा आराजी नंबर 1429 व 1432 पर किसी प्रकार का कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है, अपितु अवैधानिक ढंग से बिना भूमि रूपान्तरण कराये रिहायशी मकान, स्वीमिंग पुल, मन्दिर बनाया जा रहा है, जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) में केवल कृषि प्रयोजनार्थ ही रास्ता दिये जाने का प्रावधान है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की उपजाऊ भूमि को रास्ते [illegible] कतई संभव नहीं है, न ही प्रकरण का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार आप न्यायालय को प्राप्त है, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस प्रारम्भिक आपत्ति पर कोई	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:45:28 IST
Reason: SelfAttested

नहीं किया। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि प्रार्थी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की आराजी में आने–जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने के कारण अधिनस्थ न्यायालय ने रास्ते बाबत् आदेश पारित किया है, जो विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 28.03.2022 को विपक्षी संख्या 1, 7 व 9 अर्थात हाल अपीलान्टगण ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर स्पष्ट निवेदन किया था कि प्रार्थी अमरता द्वारा बिना किसी हक अधिकार के खातेदारी आराजी नंबर 1432 पर रिहायशी मकान, स्वीमिंग पुल एवं नये मंदिर का निर्माण किया जा रहा है जो पूर्णतया अवैधानिक है एवं उपरोक्त रिहायशी मकान तक पहुंचने के लिए विपक्षीगण की आराजी से रास्ता मांगा गया है, जबकि आराजी नंबर 1432 व 1429 पर प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का कोई कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है, जिस पर पत्रावली पर पटवारी रिपोर्ट मौजूद नहीं है, न ही आज दिनांक तक तलब की गयी है। मौके पर प्रार्थी की आराजी नंबर 1429 व 1432 तथा विपक्षीगण की आराजी नंबर 1436 की मौके की स्थिति एवं आस–पास के रास्ते बाबत् रिपोर्ट विपक्षीगण की उपस्थिति में जरिये तहसीलदार तलब किया जाना न्यायहित में आवश्यक है, ताकि वस्तु स्थिति न्यायालय के सामने आ सके एवं इस बाबत् अपनी प्रारम्भिक आपत्ति भी उक्त दिनांक को प्रस्तुत की है, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र एवं अपीलान्टगण की प्रारम्भिक आपत्ति पर किसी प्रकार का निर्णय नहीं किया है एवं अपीलान्टगण की अनुपस्थिति में तैयार एकपक्षीय रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट के खाते की आराजी नंबर 1426 में से रास्ते बाबत् आदेश पारित कर दिया है, जो प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 65/2021 में पारित निर्णय दिनांक 04.05.2022 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को पुनः इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में सभी पक्षकारों की उपस्थिति में स्वयं तहसीलदार द्वारा मौका रिपोर्ट तैयार कर अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करें। तत्पश्चात् अधिनस्थ न्यायालय पक्षकारों को सुनकर विधि के आलोक में पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 12.09.2024 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 10.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:45:28 IST
Reason: SelfAttested

(...सिंह सांगावत)
... अधिकारी
एवं ... राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर